राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग,
महात्मा गांधी नरेगा (अनुभाग–3),शासन सचिवालय, जयपुर
(Phone : 0141-2227956, 2227170 E-mail: pdre_rdd@yahoo.com)

क्रमांकः एफ 40(79)ग्रावि/नरेगा/Conv. AWC/पार्ट–2/2014–02553

जयपुर, दिनांक : 15 MAY 2023

जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस
एवं जिला कलक्टर, समस्त।

विषय :– महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023–24 में प्रत्येक पंचायत समिति में 2–2 आंगनबाड़ी केन्द्रों का निर्माण करवाये जाने बाबत।

प्रसंग :– माननीय मंत्री महोदय, ग्रावि एवं परावि द्वारा बजट 2023–24 की अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान की गई घोषणा।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि माननीय मंत्री महोदय, ग्रावि एवं परावि द्वारा बजट 2023–24 की अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान घोषणा की गई है कि महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023–24 में 500 आंगनबाड़ी केन्द्रों का निर्माण करवाया जावेगा। इस सम्बन्ध में निम्न निर्देश दिये जाते है –

1. जिले में वित्तीय वर्ष 2023–24 की वार्षिक कार्य योजना में यदि आंगनबाड़ी केन्द्र निर्माण के कार्य सम्मिलित है, तो उन्हें शीघ्र स्वीकृत किया जावे। यदि आंगनबाड़ी केन्द्र निर्माण के कार्य वार्षिक कार्य योजना 2023–24 में सम्मिलित नहीं है, तो उन्हें पूरक वार्षिक कार्य योजना में नियमानुसार सम्मिलित करते हुए स्वीकृति जारी की जावें।

2. वित्तीय वर्ष 2023–24 में प्रत्येक पंचायत समिति क्षेत्र में 2–2 आंगनबाड़ी केन्द्रों का निर्माण करवाया जाना सुनिश्चित करावें।

3. महिला एवं बाल विकास विभाग के ऐसे आंगनबाड़ी केन्द्र, जो किराये के भवनों में संचालित है अथवा भवन विहीन है, को प्राथमिकता से स्वीकृत किया जावे। इस हेतु महिला बाल विकास विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी से समन्वय कर सूची प्राप्त की जावे।

4. ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास विभाग, भारत सरकार के अ.शा. पत्र दिनांक 30.01.2023 द्वारा पूर्व में आंगनबाड़ी भवन निर्माण हेतु जारी मार्गदर्शिका दिनांक 17.02.2016 के पैरा संख्या 7.2 में संशोधन करते हुए आंगनबाड़ी भवन निर्माण हेतु महात्मा गांधी नरेगा मद से व्यय की जाने वाली राशि को रु. 5.00 लाख से बढ़ाकर रु. 8.00 लाख (अधिकतम) कर दिया गया है। महिला एवं बाल विकास विभाग, पंचायती राज विभाग के योजना मद से कन्वर्जेन्स के तहत देय राशि का प्रावधान पूर्वानुसार रहेगा। कृपया तदानुसार नवीन कार्यों की स्वीकृतियाँ जारी की जावे।

5. आंगनबाड़ी केन्द्र निर्माण के जिलेवार लक्ष्य परिशिष्ट–1 पर संलग्न है।

(शिवांगी स्वर्णकार)
आयुक्त, ईजीएस

D:\Nand Kishor 2011\11. 2023\2. Letter-H 2023.docx

CamScanner

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. निजी सहायक, मा. मंत्री महोदय, ग्रावि एवं परावि।
2. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, ग्रावि एवं परावि।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रावि।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायती राज विभाग।
5. निजी सचिव, आयुक्त, ईजीएस।
6. निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएँ (ICDS), जलपथ, गांधी नगर, जयपुर।
7. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त।
8. अधिशाषी अभियन्ता, ईजीएस, जिला परिषद, समस्त।

अधीक्षण अभियन्ता, ईजीएस

CamScanner

आंगनबाड़ी केन्द्र निर्माण के जिलेवार लक्ष्य –

क्र.सं.	जिला	पंचायत समितियाँ	लक्ष्य (संख्या)
1	अजमेर	11	22
2	अलवर	16	32
3	बांसवाडा	11	22
4	बारां	8	16
5	बाडमेर	21	42
6	भरतपुर	12	24
7	भीलवाडा	14	28
8	बीकानेर	9	18
9	बूंदी	5	10
10	चित्तौडगढ	11	22
11	चूरू	7	14
12	दौसा	11	22
13	धौलपुर	6	12
14	डूंगरपुर	10	20
15	हनुमानगढ	7	14
16	जयपुर	22	44
17	जैसलमेर	7	14
18	जालौर	10	20
19	झालावाड	8	16
20	झुन्झूनू	11	22
21	जोधपुर	21	42
22	करौली	8	16
23	कोटा	5	10
24	नागौर	15	30
25	पाली	10	20
26	प्रतापगढ	8	16
27	राजसमंद	8	16
28	सवाईमाधोपुर	7	14
29	सीकर	12	24
30	सिरोही	5	10
31	श्री गंगानगर	9	18
32	टोंक	7	14
33	उदयपुर	20	40
	योग	352	704

CamScanner